कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला

पत्रांक .... दिनांक ....

शिक्षक युक्तिकरण हेतु आवश्यक सूचना

जिला शिक्षा स्थापना समिति गुमला के दिनांक 12/09/18 को सम्पन्न बैठक मे लिये गये निर्णय के आलोक में प्रथम चरण में चिन्हित अतिरिक्त सरकारी एवं पारा शिक्षको का स्थानांतरण उनके द्वारा दिये गये अधियाचना के अनुरूप अपने प्रखण्डाधीन विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर पदास्थापन कर दिया गया है। पदस्थापन के फलस्वरूप शेष बचे अतिरिक्त सरकारी एवं पारा शिक्षको की सूची एवं विद्यालयवार रिक्ति प्रतिवेदन एवं युक्तिकरण हेतु अधीक्षा/अधियाचना प्रपत्र गुमला जिला के अधिकारिक बेबसाईट https://gumla.nic.in में उपलब्ध करा दी गई है। सभी अतिरिक्त सरकारी शिक्षको एवं अतिरिक्त पारा शिक्षको को निदेश दिया जाता है कि बेबसाईट में उपलब्ध कराये गये रिक्ति प्रतिवेदन के अधीक्षा/अधियाचना विहित प्रपत्र में अपने प्रखण्डाधीन विद्यालयों से प्राथमिकता के कम में (पाँच) 05 विद्यालयों की अधीक्षा/अधियाचना विहित प्रपत्र में दिनांक 04/10/18 अपराह्न 5.00 बजे तक जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय गुमला में अधीक्षा /अधियाचना जमा करना सुनिश्चित करेंगे। ससमय अधीक्षा/अधियाचना जमा नही करने पर आपका दावा मान्य नही होगा।

सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से भी अधीक्षा/अधियाचना हेतु सभी अतिरिक्त शिक्षकों को प्रखण्ड के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्ति विवरणी उपलब्ध कराना सुनिचित करेगें।

ह0/–
जिला शिक्षा अधीक्षक
गुमला

ज्ञापांक 1504 /गुमला, दिनांक 27/9/2018

प्रतिलिपि : 1. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन कम से कम तीन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि : 2. अपर समाहर्त्ता–सह– बेबसाइट मैनेजर, गुमला/जिला सूचना पदाधिकारी, NIC, गुमला को सूचनार्थ समर्पित।

अनुरोध है कि संबंधित विवरणी की सॉफ्ट कॉपी संलग्न कर भेजी जा रही है कृपया जिले के बेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

27/9/18

जिला शिक्षा अधीक्षक
गुमला
27.9.18